प्रारम्भिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री मोहन सिंह, R.A.S

उनवान

1. श्री भेरा पिता तेजा डांगी निवासी ओडवाडिया तह. मावली।

..............वादी

बनाम

1. श्रीमती कंकुबाई पत्नी सोहनलाल डांगी निवासी ओडवाडिया तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
3. राजथान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– 53, 188 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 138 / 18 वाद

निर्णय दिनांक : 28.06.2019

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.06.2019 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि – मौजा आंवलियों का कुआ पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की आराजी नम्बर 474 किता 1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि का पक्षकारान के मध्य हिस्सें एवं कब्जें के आधार पर बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फिस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें।

यह आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हस्ताक्षर)
(मोहन सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मावली

सत्य प्रतिलिपि
(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मावली, जिला उदयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner